छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 913/2007</u>

1. **श्री अखिलेश कुमार सिंह,** **एम0आई0जी0-17 सेक्टर-4,** **दीनदयाल उपाध्याय नगर,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल,** **डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 20 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अखिलेश कुमार सिंह द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 04.05.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर दिनांक 05.06.2007 को उन्हें आंशिक जानकारी प्रदान की गई, उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 08.06.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक 03.07.2007 को प्रदान किया गया, किन्तु उस निर्णय के बावजूद पूर्ण जानकारी प्रदान नही करने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी का कहना है कि उन्होंने परीक्षा संबंधी कार्य मेसर्स एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नोयडा को सौंपा था और उनके द्वारा उक्त संस्था से जानकारी देने का अनुरोध किया गया था, किन्तु उनके द्वारा प्रश्न पत्र की छायाप्रति और आनसर शीट की छायाप्रति के संबंध में यह उल्लेख किया है कि यह समस्त रिकार्ड नष्ट किया जा चुका है, अत: उपलब्ध कराया जाना संभव नही है । मेसर्स एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नोयडा से पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि गोपनीयता बनाये रखने के लिए मॉडल उत्तर की गोपनीयता बनाये रखी जावे । प्रतिअपीलार्थी द्वारा वहॉं से जो अन्य जानकारियॉं प्राप्त हुई, वह आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है । ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका परीक्षा की गोपनीयता एवं परीक्षा की प्रक्रिया को देखते हुए गोपनीय माना जा सकता है, किन्तु प्रश्नपत्रों के सेट के संबंध

में और मॉडल उत्तर के संबंध में गोपनीयता का तर्क मान्य नही किया जा सकता है तथा यह भी आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि प्रश्नपत्रों के सेट किस प्रकार से नष्ट कर दिये गये हैं, जबकि उनकी एक प्रति तो संबंधित संस्था के पास होना चाहिए । अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नपत्रों और मॉडल उत्तर की प्रति संबंधित संस्था से पत्र व्यवहार कर उन्हें बुलाया जावे और 20 दिवस के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान किया जावे, यदि संबंधित संस्था देने से इंकार करे तो अध्यक्ष, छ0ग0 विद्युत मण्डल को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संस्था को आगे की परीक्षा के लिए ब्लेक लिस्ट करने के संबंध में विचार करे और अन्य जो कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो, वह भी की जावे । अपील में रिजल्ट किस प्रारूप में उपलब्ध कराये गये हैं वह और किये गये खर्च का मदवार विवरण नही बताया गया है, यह जानकारी भी अपीलार्थी को 20 दिवस में उपलब्ध कराया जावे ।

3/ प्रकरण में परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करना उचित नही होगा, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विद्युत मण्डल की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त